वाद संख्या–63 / 2023
राजेश चौधरी एवं अन्य बनाम् चन्दन कुमार।

इस वाद की अंतिम सुनवाई दिनांक–27.06.2024 को हुई, जिसमें वादी श्री राजेश चौधरी स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे उपस्थित। जिला प्रशासन की तरफ से श्री राकेश कुमार, अनुमण्डल दंडाधिकारी, डुमराँव, एवं श्री विद्यानाथ पासवान, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर उपस्थित।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी श्री राजेश चौधरी द्वारा प्रतिवादी श्री चन्दन कुमार के विरूद्ध Same Set of Facts पर संबंधित मुशिफ न्यायालय में चुनाव याचिका दायर किया गया है। एक ही वादी द्वारा Same Set of Facts पर Parallel Proceedings नहीं चलाई जा सकती। अतः उनके द्वारा वाद खारिज करने का अनुरोध किया गया।

वादी के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध मुंशिफ न्यायालय में वाद दायर किया गया है तथा वह वाद पूर्व से चल रहा है, इसलिए वह उसी वाद को जारी रखना चाहते है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक–24.07.2024 को शपथ–पत्र के माध्यम से अपने दावें के समर्थन में अवर न्यायाधीश–1 Senior Division, Dumrao, चुनाव याचिका संख्या–1 / 2023, राजेश चौधरी अन्य बनाम् जिला पदाधिकारी, बक्सर एवं अन्य को केस रेकर्ड पर लाया गया, जिसका अवलोकन आयोग द्वारा किया गया, तो पाया गया कि प्रतिवादी संख्या–04 चन्दन कुमार पर वास्तविक उम्र छिपाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया है।

विचाराधीन वाद जो श्री राजेश चौधरी एवं अन्य के परिवाद से प्रारंभ हुआ है, उसका भी विषय–वस्तु प्रतिवादी के उम्र छिपाकर चुनाव लड़ने से संबंधित ही है। इस प्रकार प्रतिवादी का दावा सही पाया गया कि वादी द्वारा Same Set of Facts पर मुशिफ न्यायालय में चुनाव याचिका दायर किया गया है।

अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(2) के परन्तुक तथा रजनी कुमारी बनाम् राज्य निर्वाचन आयोग वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा दिए गए, न्याय–निर्णय दिनांक–17.09.2019 के आलोक में आयोग में वादों की सुनवाई जारी नहीं रखी जा सकती है, जिसमें समान तथ्यों के आधार पर समान पक्षकारों के बीच चुनाव याचिका दायर की गई है। पूर्णपीठ के न्याय–निर्णय का प्रभावकारी अंश निम्नवत् है:–

> "The Commission has been empowered by the Statute to decide a reference on the issue of disqualification of a returned candidate. We, however, hold that a person pursuing an election petition on the ground of a disqualification that was existing on the date of election of the returned candidate, cannot simultaneously pursue a complaint before the State Election Commission as two parallel statutory remedies cannot be applied and proceeded with at the same time."

उक्त वर्णित स्थिति में परिवाद के आधार पर स्वतः संज्ञान से प्रारंभ किये गये वाद की कार्रवाई जारी नहीं रखी जा सकती। परिवादीगणों को सलाह दी जाती है कि नियमानुसार चुनाव याचिका संख्या–01/2023, अवर न्यायाधीश–1 Senior Division, Dumrao, में अपना पक्ष रखें। इस आदेश के साथ ही आयोग में वाद की कार्रवाई समाप्त समझी जाएगी।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
01.10.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
01.10.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–63/2023 3698 पटना, दिनांक–01/X/2024

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **बक्सर**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **बक्सर** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **बक्सर** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

01/X/24
विशेष कार्य पदाधिकारी